हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
महावीरसिंह बनाम वीरसिंह दिनांक 01.11.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 राजस्व वाद के साथ पेश किया। अभिभाषक/प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके मुताबिक प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में ही साबित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण 01 लगायत 06 को आगामी नियत दिनांक 20.12.2022 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 नं0 333 वाके ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) में से वादीगण के हक व हिस्से/आराजी पर उपभोग/उपयोग में किसी भी तरह की बाधा पैदा नहीं करें एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखें। क्योंना उक्त आदेश ताफैसला दावा सम्पुष्ट कर दिया जावे? कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत आकर अपना–अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलवी अप्रार्थीगण वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड तलवी हेतु नोटिस तलवाना पेश करे, जारी हो। उक्तानुसार वकील प्रार्थी द्वारा आगामी नियत दिनांक पूर्व तलवी नहीं कराये जाने की स्थिति में उपरोक्त जारी अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी नियत दिनांक को निरस्त समझे जावेंगे। बाद तलवी पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.12.2022 को पेश हो। **प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।** सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0	
05/12/22 आज यह पत्रावली शीघ्र सुनवाई प्रा० पत्र स्वीकार होने पर मूल दावा पत्रावली के साथ पेश हुई। चूंकि आज प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली नोट प्रेस में खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रा० पत्र पत्रावली का कोई औचित्य नही रह गया है। अत: यह प्रा० पत्र पत्रावली भी नोट प्रेस में खारिज	NOT Press मनजीत कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:39 IST
Reason: SelfAttested

कर प्रकरण की आग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मूल दावा पत्रावली रहे।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.08.04 13:14:39 IST
Reason: SelfAttested